संख्या-11-767/86-2015-285/2013

प्रेषक,

गेन्दन लाल,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म,

उ0प्र0 शासन।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 10 मार्च, 2015

विषय- "वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से जनपद अमेठी में खनिज कार्यालय भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2893/एम-38/2014-15, दिनांक 24-12-2015 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-3939/86-2014-285/2013, दिनांक 21.1.2015 द्वारा प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, अमेठी से खनिज कार्यालय भवन कार्य हेतु रू0 150.00 लाख की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, अमेठी के पत्र संख्या-337/1 सीवी, दिनांक 16.02.2015 द्वारा कार्याधिक्य के कारण प्रश्नगत कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की गयी है। अत: सम्यक् विचारोपरान्त जनपद अमेठी में खनिज कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अमेठी के स्थान पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् निर्माण इकाई-5 प्रतापगढ़ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित प्रारम्भिक प्राक्कलन पर उक्त निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 1,50,00,000.00 (रू0 एक करोड़ पच्चास लाख मात्र) की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करतें है :-

(धनराशि रूपये में)

क्र0 सं0	स्वीकृत कार्य योजना	कार्यदायी संस्था जिसे धनराशि आवंटित की जानी है।	स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	जनपद अमेठी में खनिज कार्यालय भवन निर्माण कार्य।	उ0प्र0 आवास एंव विकास परिषद्, निर्माण इकाई-5 प्रतापगढ़	1,50,00,000.00
		योग	1,50,00,000.00

(1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टयॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की होगी तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म यह सुनिश्चित करेगें कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) स्वीकृत धनराशि अवश्यकतानुसार आहरित कर इसी वित्तीय वर्ष में व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक में नही रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म यह सुनिश्चित करेगें कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत तो नहीं की गयी है तथा यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित तो नहीं है।

(7) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म का होगा।

2. उपरोक्त कार्यों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के लेखाशीर्षक" 4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-खनिजच अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401-एक मुश्त व्यवस्था" के अन्तर्गत-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(गेन्दन लाल)
उप सचिव।

<u>संख्या:- 767(1)/86-2015, तद्दिनांक:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
(3) वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
(5) वित्त (लेखा) अनुभाग-1
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in